



Neutral Citation No. - 2026:AHC:126447

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 22905 / 2026

श्रीमती ज्योति चौरसिया और अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : ओम नारायण पांडे

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 38

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता और राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान स्थायी अधिवक्ता की दलीलें सुनी गई।
2. संक्षेप में तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता संख्या 1 अर्थात् श्रीमती ज्योति चौरसिया की जन्म तिथि 16.6.1996 है, हाई-स्कूल प्रमाण पत्र की प्रति रिट याचिका में अनुलग्नक-2 के रूप में संलग्न की गई है। आधार कार्ड के अनुसार, जो रिट याचिका के साथ संलग्न है, याचिकाकर्ता संख्या 2 की जन्मतिथि 16.6.1996 है। रिट याचिका में कहा गया है कि दोनों याचिकाकर्ता विवाहित हैं और उनकी शादी 13.2.2025 को शिव मंदिर टाउन और तहसील फरीदपुर, जिला बरेली में हुई है। यह आगे कहा गया है कि दोनों याचिकाकर्ता शांति से रह रहे हैं लेकिन पूरी तरह से अवैध रूप से प्रतिवादी संख्या 4 परिवार के सदस्यों के साथ उन्हें परेशान कर रहे हैं।
3. याचिकाकर्ताओं का दावा है कि वे बालिग हैं और अपनी मर्जी से साथ रह रहे हैं। कहा गया है कि इसी वजह से प्रतिवादी संख्या 4 और परिवार के सदस्य नाराज हो गए हैं और याचिकाकर्ताओं की जान को गंभीर खतरा है क्योंकि उन्हें धमकी दी जा रही है और परेशान किया जा रहा है।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



4. याचिकाकर्ताओं ने रिट याचिका में कहा है कि वे पति-पत्नी के रूप में रह रहे हैं। कहा गया है कि उन्हें आशंका है कि निजी प्रतिवादी परिवार की इज्जत के लिए उन्हें खत्म कर सकता है। अगर यह न्यायालय उन्हें सुरक्षा नहीं देता है, तो उनकी जान खतरे में पड़ सकती है।

5. प्रस्तावित आदेश को देखते हुए, निजी प्रतिवादी को नोटिस जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

6. सर्वोच्च न्यायालय ने कई फैसलों में यह कानून तय किया है कि जहां लड़का और लड़की बालिग हैं और अपनी मर्जी से साथ रह रहे हैं, तो किसी को भी - जिसमें उनके माता-पिता भी शामिल हैं - उनके साथ रहने में दखल देने का अधिकार नहीं है। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय के इन मामलों के फैसलों का हवाला दिया जा सकता है: **ज्ञान देवी बनाम सुपरिटेण्डेंट, नारी निकेतन, दिल्ली और अन्य, (1976) 3 एससीसी 234; लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, (2006) 5 एससीसी 475; और, भगवान दास बनाम स्टेट (एनसीटी ऑफ दिल्ली), (2011) 6 एससीसी 396, साथ ही इस न्यायालय का दीपिका और अन्य बनाम उ.प्र. राज्य और अन्य, 2013 (9) एडीजे 534 वाला मामला भी** जिसका सर्वोच्च न्यायालय और इस न्यायालय ने लगातार पालन किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने ज्ञान देवी (उपरोक्त) मामले में यह कहा है:

"7. ... याचिकाकर्ता की जन्म तिथि चाहे जो भी हो, असल बात यह है कि वह अभी 18 साल से ज्यादा उम्र की है।

चूंकि याचिकाकर्ता बालिग है, इसलिए वह किसके साथ रहना चाहती है, इस पर कोई रोक नहीं लगाई जा सकती और न ही इस बात पर कोई पाबंदी लगाई जा सकती है कि उसे कहाँ रहना चाहिए। ऐसे मामले में न्यायालय या याचिकाकर्ता के रिश्तेदार भी अपनी राय या पसंद को याचिकाकर्ता की राय या पसंद से ऊपर नहीं रख सकते।"

7. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, मेरा मानना है कि याचिकाकर्ताओं को साथ रहने की आज़ादी है और किसी भी व्यक्ति को उनके शांतिपूर्ण जीवन में दखल देने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अगर याचिकाकर्ताओं के शांतिपूर्ण जीवन में कोई बाधा आती है, तो वे इस आदेश के प्रमाणित प्रति के साथ शाहजहाँपुर के पुलिस अधीक्षक से संपर्क करेंगे। संबंधित प्राधिकारी/अधिकारी उच्च न्यायालय इलाहाबाद की आधिकारिक वेबसाइट से आदेश की ऐसी

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी क़ानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



कम्प्यूटरीकृत प्रति की प्रामाणिकता की पुष्टि करेंगे और लिखित रूप में इस तरह के सत्यापन की घोषणा करेंगे, जो याचिकाकर्ताओं को तत्काल सुरक्षा प्रदान करेगा।

8. निजी प्रतिवादी को यह छूट दी जाती है कि अगर रिकॉर्ड में लाए गए दस्तावेज़ बनावटी या जाली हैं, तो वह इस आदेश को वापस लेने के लिए रिकॉल आवेदन दाखिल कर सकता है।

9. याचिकाकर्ता तीन महीने के भीतर अपनी शादी का पंजीकरण कराने का वचन देते हैं।

10. अगर याचिकाकर्ता ऊपर बताई गई तय अवधि के भीतर अपनी शादी का पंजीकरण नहीं करा पाते हैं, तो इस आदेश के तहत दी गई सुरक्षा अपने आप खत्म हो जाएगी।

11. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं की कथित शादी पर कोई फैसला नहीं सुनाया है और यह आदेश किसी भी तरह से उनकी शादी की वैधता के बारे में कोई राय ज़ाहिर नहीं करता है।

12. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

13. लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं।

(प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति)

9 जून, 2026

सुमैरा